कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानांतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषानुसार पे – मैट्रिक्स के लेवल–16 में प्रधानाचार्य – उमावि एवं समकक्ष पद ग्रुप डी–II में की उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध चयन का निर्णय राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण **तत्समय इनका चयन किया जाकर निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।**

इनके विरूद्ध विचाराधीन अनुशासात्मक कार्यवाही के निस्तारण द्वारा प्रकरण में कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेशांक : शिविरा/मा/संस्था/बी–III/डीपीसी/बन्द लिफाफा/प्रधानाचार्य/16–17 से 18–19/ वो.2 दिनांक 18–03–2019 एवं 05.04.2019 के द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप, इनकी पदोन्नति पर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में प्रधानचार्य–उमावि एवं समकक्ष पद पर तुरन्त प्रभाग से किया जाता है:–

क्रं सं	वरिष्ठता क्रमांक व वर्ष	डीपीसी0 चयन वर्ष	नाम व पदनाम	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	1190/96–97	2018–19	श्री खेमचंद मीना, व्या0	10-07-1970	आर.के.जोशी राउमावि दौसा	GOVT. SENIOR.SEC SCHOOL AHMADPUR ALIGANJ, GANGAPUR CITY S.MADHOPUR
2	218/01–02	2016–17	श्री गणपतलाल, व्या0	01-07-1961	राउमावि कालीबेरी जोधपुर	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, BOOTH RATHORAN, CHOHTAN ,BARMER
3	1810/ 13–14	2018–19	श्रीमती हेमलता प्र0अ0	23-06-1982	रामावि फुलबाग जोधपुर	Govt Senior Secondary School DEVATADA, BHOPALGARH, JODHPUR

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । **नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को** रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे। क्र.सं.1 एव 2 को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

संबंधित प्रधानाचार्य नियत तिथि **दिनांकः–18–06–2019 तक** पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। **नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें** । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे, संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें । इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी(बन्द लिफाफा)/2018/ **दिनांक ::** 12.06.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. सयुंक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग मुख्यालय, संबंधित संभाग कार्यालय।
06. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) संबंधित जिला।
07. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर–कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
08. संबंधित संस्था प्रधान।
09. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति, तत्काल अनिवार्य रूप से करेगें ।
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/प्रभारी बी–3
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)